यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड,चिन्यालीसौड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड,चिन्यालीसौड** के माह 11/2017 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्रीसंजीव कुमार, श्री राजेश डोभाल, सहायकलेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सुनील कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(त0) द्वारा दिनांक-21.12.2020 से 29.12.2020 तक श्रीए0के0जैन, व0लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालीनपर्यवेक्षणमेंसम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः-इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं।

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड,चिन्यालीसौड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विकास खंड चिन्यालीसौडके अंतर्गत आने वाले मोटर मार्गो एवं पुल के निर्माण एवं अनुरक्षण के कार्य किए जाते हैं।

2. (ii) (अ)कार्यालय गठन से बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत राशि जो समर्पित की गयी
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
2017-18	-	-	-	-	5.50	5.49	0.01
2018-19	-	-	-	-	1311.86	753.33	558.53
2019-20	-	-	-	-	1566.50	901.47	665.03
2020-21 (11/2020 तक)	-	-	-	-	1052.35	802.77	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त	व्यय	बचत राशि जो समर्पित की गयी
2017-18	प्रोग्राम फंड	--	-	-	-
2018-19	प्रोग्राम फंड	-	1286.86	730.82	556.04
2019-20	प्रोग्राम फंड	-	1552.00	886.97	665.03
2020-21 (11/2020 तक)	प्रोग्राम फंड	-	1047.85	798.33	-

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **"बी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

1. सचिव, उत्तराखण्ड ग्राम्य विभाग
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तराखण्ड।

तकनीकी संवर्ग में:

3. मुख्य अभियंता(विभागाध्यक्ष)
4. मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र
5. मुख्य अभियंता,कुमाऊ हल्द्वानी
6. अधीक्षण अभियंता,मसूरी
7. अधिशासी अभियंता
8. सहायक अभियंता
9. कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग में:

1. वित्त नियंत्रक
2. खंडीय लेखकर
3. सहायक लेखाधिकारी
4. प्रशासनिक अधिकारी
5. लेखाकार
6. प्रधान सहायक
7. वरिष्ठ सहायक
8. कनिष्ठ सहायक

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड,चिन्यालीसौडको आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड,चिन्यालीसौडकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 03/2019 एवं 10/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।धरासुसे ताराकोट जिब्या मोटर मार्ग स्टेज-II के कार्य काविस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।

5. फार्म-51: माह11/2020 तककार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जाचुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम	शून्य
भाग द्वितीय	

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2020 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	शून्य
(ख) सामग्री क्रय	
(ग) नगद परिशोधन	
(घ) निक्षेप	
(ङ) भण्डार	

भाग –II (अ)

प्रस्तर-1: कार्य का बीमा न कराया जाना, LD अधिरोपित न किया जाना, ₹ 355872.00की जिला खनिज न्यास निधि की कौटीती न किया जाना तथा फार्म MM-11 व फार्म-J प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि PMGSY के अंतर्गत Khalsi Gaon Motor Road Km. 12 to Gadwal Gad Motor Road Stage-II, Phase/Package No: XVIII/UT-13-111, Stage:II के 9.525 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 463/XI/19/56(63)2018 दिनांक 06/03/19 के द्वारा प्रदान की गयी थी, तत्पश्चात कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 (गढ़वाल क्षेत्र) के पत्रांक 1226/13(154)याता/2019 दिनांक 31/07/2019 के द्वारा प्राप्त हुयी है। उक्त निर्माण हेतु कार्य का अनुबंध वाया संख्या 111/UT-13-111(II)XVIII/CE-URRDA/2019-20 Date 23/10/19, अनुबंध लागत रु0 508.80 लाख, कार्य प्रारम्भ की तिथि 24/10/19 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 23/07/20, गठित की गयी थी। उक्त अनुबंध के सापेक्ष VIII Running Account Bill के द्वारा आतिथि तक रु0 3,36,03,135.00 का भुगतान किया गया तथा कार्य प्रगति पर है।

(A) कार्य के अनुबन्ध की Bidding Document under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) के निम्न Clauses के प्रावधानों के अनुसार: -

Insurance

13.1 The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials; b) loss of or damage to Equipment; c) loss of or damage to property (other than the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and d) Personal injury or death. 13.2 Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date. All such insurance shall provide for compensation to be payable in the types and proportions of currencies required to rectify the loss or damage incurred.

13.6 If the Contractor does not provide any of the policies and certificates required, the Employer may affect the insurance which the Contractor should have

provided and recover the premiums the Employer has paid, from payments otherwise due to the Contractor or if no payment is due, the payment of premiums shall be debt due.

कार्य के बीमा सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्य के बीमा की अवधि (टंसपकपजल) 06.09.2020 को समाप्त हो चुकी थी, जबकि वर्तमान तक कार्य पूर्ण नहीं था। उल्लेखनीय है कि बीमा खंड एवं ठेकेदार दोनों कि जिम्मेदारी थे यदि ठेकेदार बीमा नहीं कराता तो खंड को कराना था ओर ठेकेदार से बीमा की किस्तों की राशि को वसूल किया जाना था . स्पष्ट था कि खंड द्वारा अनुबंध की शर्तो का की अवहेलना की गयी ओर इसके साथ ही ठेकेदार से कार्य का बीमा न करवाकर ठेकेदार को बीमा की किस्ते न देनी पड़े ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा करवाया गया है। खंड ने उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त बीमा की अवधि 6.9.20 को समाप्त हो चुकी है तथा कार्य लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक प्रगति पर था। आगे, कार्य का बीमा कार्य की Defect liability Period तक किया जाना अनिवार्य था। कार्य का बीमा कराये जाने की जिम्मेदारी खंड की एवं ठेकेदार दोनों की थी। ठेकेदार को किस्ते न चुकानी पड़े इस लिये बीमा को आगे विस्तारित नहीं कराया गया था

(B) कार्य के अनुबन्ध की Bidding Document under PMGSY के निम्न Clauses के प्रावधानों के अनुसार: -

Liquidated Damages

44.1 Both, the Contractor and the Employer have agreed that it is not feasible to precisely estimate the amount of losses due to delay in completion of works and the losses to the public and the economy, therefore, both the parties have agreed that the Contractor shall pay liquidated damages to the Employer and not by way of penalty, at the rate per week or part thereof stated in the Contract Data for the period that the Completion Date is later than the Intended Completion Date. Liquidated damages at the same rates shall be withheld if the Contractor fails to achieve the milestones prescribed in the Contract Data. However, in case the Contractor achieves the next milestone, the amount of the liquidated damages already withheld shall be restored to the Contractor by adjustment in the next payment certificate. The Employer and the contractor have agreed that this is a

reasonable agreed amount of liquidated damages and the total amount of liquidated damages shall not exceed 10% of the contract price. The Employer may deduct liquidated damages from payments due to the Contractor. Payment of liquidated damages shall not affect the Contractor's other liabilities.

44.2 If the Intended Completion Date is extended after liquidated damages have been paid, the Engineer shall correct any overpayment of liquidated damages by the Contractor by adjusting the next payment certificate.

Liquidated Damages 44.1

(c) Maximum limit of liquidated damages for delay in completion of work: 10 per cent of the Initial Contract Price rounded off to the nearest thousand.

अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि 23/07/20 थी जबकि आतिथि तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ tha तथा समय वृद्धि भी नहीं दी गयी है, जबकि ठेकेदार के साथ विभाग /खण्ड के बीच GCC की उपवर्णित शर्तों के अनुसार एलोडीो का प्रावधान लागू होता है जिसके अनुसार अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत, ₹ 50.88 लाख Liquidated Damage अधिरोपित किया जाना चाहिए, जो खण्ड द्वारा अधिरोपित नहीं किया गया है।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर खंड ने उत्तर में बताया कि अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि 23/07/20 थी । दिनांक 05/12/20 तक समयवृद्धि प्रकरण उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है ।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अनुबंधों की शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है जिस कारण कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि के 5 माह बीतने के पश्चात कार्य पूर्ण नहीं हुआ है न ही समय विस्तार स्वीकृत है तथापि एलडी अधिरोपित नहीं किया गया।

(C) उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, संख्या 1621/VII-1/2017/ 8ख/16 देहरादूनः दिनांक 17 नवम्बर 2017, अधिसूचना, प्रकीर्ण द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017 के नियम बिन्दु 10-न्यास निधि हेतु अंशदान के नियम (2)-गौण खनिजों के मामले में 2-के अन्तर्गत नियम 5 अर्थात नियम 10 (2) 5 के अनुसारः- सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

खण्ड द्वारा उपर्वर्णित शासनादेश न्यास नियमावली- 2017 के नियम 10(2) 5 के अनुसार खण्ड के अन्तर्गत किये जा रहे निर्माण कार्य में उपयोग की गई गौण खनिजों पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से ठेकेदारों के बिलों से काटी नहीं जा रही है, खण्ड द्वारा उपर्वर्णित कार्य पर रू0 1423488 की रायल्टी की कटौती की गयी, परंतु जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में अंशदान जमा करने हेतु उक्त रायल्टी का 25 प्रतिशत ₹355872 अतिरिक्त रूप से काटी नहीं गयी।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर खंड ने इस संबंध में उत्तर नहीं दिया।

(D) उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के नियम-5 में अभिवहन पास जारी किये जाने का प्रावधान है। इस नियम के उप नियम (2) में खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए प्रपत्र-जे में अभिवहन जारी करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत खनिजों के अभिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0-11 एवं प्रपत्र-जे मैनुअल विधि से जारी किये जाने का प्रावधान है।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1578/VII-I/158- ख/04 टी0सी0-।। दिनांक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार खनिजों के विधिपूर्ण अभिवहन/परिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा e-form –"J" का निर्धारण किया गया है।

उत्तराखण्ड उपखाि◌नज परिहार नियमावली, 2005 के अध्याय-1 के बिन्दु-03 प्रतिषेध धारा 23ग(1)"कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा पत्र धारक का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किये जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा न उसे ले जायेगा अथवा न परिवहन करवायेगा और ना ले जाने का कार्य करवायेगा।

उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन का भण्डारण का निवारण, 2005 (समय समय पर यथसंषोधित) के नियम 13(2)(ख) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से अर्थदण्ड की धनराषि ₹ 2,00,000/- तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रायल्टी का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली की जायेगी।

उपवर्णित शासनादेश के अनुसार रायल्टी की दरें फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" के सापेक्ष लागू है। खनिजों का अभिवहन/परिवहन बगैर फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" के गैर विधिक है। ऐसे में ठेकेदारों, जिनके पास फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" उपलब्ध नहीं है, से उनके बिलों से निर्माण कार्य में उपयोग की गयी उपखनिजों पर जो रायल्टी काटी जानी है, वह गैर विधिक

अभिवहन/परिवहन के परिपेक्ष्य में काटी जानी चाहिए। अतः रायल्टी जो सरकार का राजस्व है, की पूर्ण रक्षा करते हुए उपरोक्त नियमानुसार अर्थदण्ड के रूप में रायल्टी का 05 गुना अधिरोपित कर वसूली की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है, कि सरकार के राजस्व (रायल्टी) की सुरक्षा का दायित्व विभाग/खण्ड का है।

खण्ड द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में उपयोग की गयी उपखनिजों पर धनराशि ₹ 1423488 की रायल्टी की कटौती की गयी, अतः नियमानुसार अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 7117440 (1423488*5) अधिरोपित करते हुए कटौती की जानी थी। अतः अवशेष धनराशि ₹ 5693952 (7117440 – 1423488) की रायल्टी अर्थदण्ड के रूप में सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जानी है।

खण्ड ने अपने उत्तर में बताया कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में ठेकेदार के बिलों से पूर्ण निर्धारित रायल्टी की कटौती की जा रही है ।

खंड के उत्तर स्पष्ट हैं कि बगैर आवश्यक निर्धारित फार्म 'जे' एवं फार्म 'एम0एम0-11' के उपखनिज का अभिवहन/परिवहन गैर-विधिक है, अतः रॉयल्टी की कटौती की गई, परंतु खंड द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड के रूप में रायल्टी का 05 गुना अधिरोपित करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 5693952 की वसूली संबन्धित ठेकेदार से नहीं की गयी।

भाग-II(ब)

प्रस्तर-1: कार्य का बीमा नही कराया जाना, न्यास निधि ₹ 1.15 लाख की कटौती ठेकेदारो के बिलों से नही काटा जाना तथा ठेकेदार से ₹18.51 लाख अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 की क्लॉज़ 13.1 के अनुसार- (Insurance) The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

13.2 Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

13.3 (a) The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for personal injury or death which are due to the Contractor's risks:

13.3 (b) Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for approval before the completion date/start date.

13.4 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Employer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16 देहरादून : दिनांक 17 नवम्बर 2017, अधिसूचना, प्रकीर्ण द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017 के नियम बिन्दु 10-न्यास निधि हेतु अंशदान के नियम (2)- गौण खनिजों के मामले में 2-के अन्तर्गत नियम 5 अर्थात नियम 10 (2) 5 के अनुसारः- सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से ठेकेदारों के बिलों से कटौती किये जाने का प्रावधान है।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1578/VII-I/158- ख/04 टी0सी0-।। दिनांक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार खनिजों के विधिपूर्ण अभिवहन/परिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा e-form –"J" का निर्धारण किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-I/24-ख/2007 देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2016 की अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम-21) के क्रमाक-06 में नदी तल से भिन्न स्थानों से

प्राप्त खण्डास/बौल्डर्स/बजरी/मिट्टी/बैलास्ट सिंगल/पहाड़ो के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी की रायल्टी की दर ₹ 194.50 प्रतिघनमीटर वर्तमान तक लागू चल रही है।
उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 842/VII-I/2016/24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 की अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम-21) के क्रमांक-8 में विहित प्रयोजनों लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रायल्टी की दर को ₹ 187 प्रतिघनमीटर (गौला नदी), ₹ 176 प्रतिघनमीटर (कोसी, दाबका नदी), एवं ₹ 154 प्रतिघनमीटर (हरिद्वार एवं अन्य स्थान) के अनुसार संशोधन किया गया है।
उत्तराखण्ड उपखाि◌नज परिहार नियमावली, 2005 के अध्याय-1 के बिन्दु-03 प्रतिषेध धारा 23ग(1)"कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा पत्र धारक का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किये जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा न उसे ले जायेगा अथवा न परिवहन करवायेगा और ना ले जाने का कार्य करवायेगा।

उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन का भण्डारण का निवारण, 2005 (समय समय पर यथसंषोधित) के नियम 13(2)(ख) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से अर्थदण्ड की धनराषि ₹ 2,00,000/- तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रायल्टी का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली की जायेगी।

धरासू से तारकोट –जिब्या मोटर मार्ग की वित्तीय स्वीकृति द्वारा उत्तराखंड शाशन द्वारा ₹ 1423.31 लाख की दिनांक 6/3/19 के माध्यम से प्रदान की गयी थी । कार्य का आगणन (स्टेज ॥ के लिए) जिसके अनुसार कार्य की लागत ₹ 1423.39 लाख थी, कार्य के सापेक्ष एक अनुबंध 68/UT -13-115/URRDA 2019-20 दिनांक 7-8-19 गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ एवं कार्य समाप्ति की तिथि क्रमशः 10-8-19 तथा 9-2-21 थी अनुबंध की लागत ₹ 1416.63 थी। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य चालु था। कार्य पर पंचम चालु देयक के अनुसार कुल व्यय ₹ 4.39 करोड़ था। कार्य की गति अत्यंत धीमी थी ।
अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अनुबंध की बीमा सम्बन्धी 439.82 लाख प्रावधान होने के बावजूद कार्य का बीमा नहीं करवाया गया था उपरोक्त नियमो के अनुपालन मे कार्यो का बीमा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि तक वैध होना आवश्यक है जिससे कि निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान शासन को न करना पड़े क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाए।
आगे जांच में पाया गया गया कि खण्ड द्वारा उपर्वर्णित कार्य पर ₹ 462828/- की कटौती ₹ 110.11 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी की कटौती की गयी, परंतु जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में अंशदान जमा करने हेतु उक्त रायल्टी का 25 प्रतिशत ₹115707/- अतिरिक्त रूप से काटी नहीं गयी। इस प्रकार खण्ड में न्यास निधि कटौती से सम्बंधित उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।
आगे जांच में पाया गया कि खंड रायल्टी से सम्बंधित उक्त शाशनादेशो के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। खण्ड द्वारा उक्त कार्य पर ₹ 462828/- की कटौती ₹ 110.11 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी की कटौती की गयी। उपवर्णित शासनादेश के अनुसार रायल्टी की दरें फार्म "MM-11" तथा

एवं फार्म –"J" के सापेक्ष लागू है। खनिजों का अभिवहन/परिवहन बगैर फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" के गैर विधिक है। ऐसे में ठेकेदारों, जिनके पास फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" उपलब्ध नहीं है, से उनके बिलों से निर्माण कार्य में उपयोग की गयी उपखनिजों पर जो रायल्टी काटी जानी है, वह गैर विधिक अभिवहन/परिवहन के परिपेक्ष्य में काटी जानी चाहिए। अतः रायल्टी(राजस्व) जो सरकार का राजस्व है, की पूर्ण रक्षा करते हुए उपरोक्त नियमानुसार अर्थदण्ड के रूप में रायल्टी का 05 गुना अधिरोपित कर वसूली की जानी चाहिए थी । उल्लेखनीय है, कि सरकार के राजस्व(रायल्टी) की सुरक्षा का दायित्व foHkkx@[k.Mका है।

ख्ाण्ड द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में उपयोग की गयी उपखनिजों पर धनराशि ₹ 1423488 की रायल्टी की कटौती की गयी, अतः नियमानुसार अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 462828/- (462828*5 =2314140) अधिरोपित करते हुए कटौती की जानी थी। अतः अवशेष धनराशि ₹ 18,51,312 (2314140 – 462828) की रायल्टी अर्थदण्ड के रूप में सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जानी है।

आगे यह उल्लेखनीय है खंड द्वारा लेखापरीक्षा को कार्य से सम्बंधित मूल आगणन एवं पुनरीक्षित मूल आगणन प्रस्तुत नही किया गया था जिससे यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि मूल आगणन में कौन कौन सी मदे ली गयी थी एवं पुनरीक्षित मूल आगणन में कौन कौन सी मदे ली गयी थी तथा तकनीकी स्वीकृती की राशि निर्धारित किस आधार पर की गयी थी। इस सम्बन्ध में खंड द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर भी नहीं दिया।

बीमा ना कराये जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया कि बीमा की valid insurance की छाया प्रति उपलब्ध कराई जा रही है । खंड द्वारा कार्य का बीमा की कोई छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

ठेकेदारों के बिलों से न्यास निधि की कटौती ना किये जाने के सम्बन्ध में बताया कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा निर्गत आदेशो के अनुपालन में ठेकेदार के बिलों से पूर्व निर्धारित रायल्टी की कटौती की जा रही है। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्युकी खंड द्वारा उक्त शासनादेशो के आलोक में न्यास निधि की कटौती कर शासनादेशो के प्रावधानों का पालन करना चाहिए था।

आगे बिना "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" के लाई गयी एवं कार्य में प्रयुक्त की गयी खनिज सामग्री की रोयल्टी की राशि का पांच गुना पेनाल्टी ना लगाए जाने के सम्बन्ध में खंड द्वारा उत्तर में बताया कि खनन सामग्री का बाहर से परिवहन नही किया जा रहा है कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा मार्ग के अंतर्गत ही उपलब्ध local material का उपयोग किया जा रहा है । खंड के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा शासन की बिना अनुमति के अवैध रूप से खनिज सामग्री को लाया और कार्य में प्रयोग किया अतः ठेकेदार पर अर्थदंड लगाते हुए वसूली की जानी चाहिए थी।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2: ₹ 203.67 लाख व्यय किए जाने के बावजूद कार्य का बीमा नही किया जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 की क्लाज़ 13.01 के अनुसार- (Insurance) The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

13.2 Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

13.3 (a) The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for personal injury or death which are due to the Contractor's risks.

13.3 (b) Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for approval before the completion date/start date.

13.4 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Employer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड के अंतर्गत कार्य जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड जोगत मोटर मार्ग के किमी0-34 से जोगत मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज-II) निर्माणाधीन है जिसकी कुल स्वीकृति ₹ 443.01 लाख एवं संप्रेक्षा तिथि (11/2020) तक कुल व्यय `203.67 लाख हो चुका हैं. अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि अनुबंध की बीमा संबंधी उक्त क्लाज मे प्रावधान के बावजूद कार्य का बीमा नही करवाया गया था उपरोक्त नियमों के अनुपालन मे कार्यों का बीमा प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि तक वेध होना आवश्यक हैं जिससे निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान शासन को न करना पड़े क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाय। उक्त मोटर मार्ग पर 18 अगस्त 2019 को बादल फटने के कारण 587 मी0 मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भी हो गयाथा।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा बीमा नही कराया गया हैं जो उक्त नियम विरुद्ध हैं।

अत: ₹ 203.67 लाख व्यय किए जाने के बावजूद भी कार्य का बीमा नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-।। 'अ' प्रस्तर संख्या.	भाग-।। 'ब' प्रस्तर संख्या
	इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

<u>भाग-।v</u>

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

1. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
2. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री विनोद कुमार डंगवाल	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

3. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

----शून्य----

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड़** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)